संख्या-02 /2021/60जेएल/22-3-2021-100(1)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2021*

विषय- जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध 04 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1045/सामा-1(8)/बंदी स्था0(जि0का0 आजमगढ़)/2021, दिनांक 17-01-2021 एवं पत्र संख्या-1046/सामा-1(8)/52/बंदी स्था0(जि0का0 आजमगढ़)/2020, दिनांक 17-01-2021 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध निम्नलिखित 04 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	संजय यादव पुत्र गनेश यादव	जिला कारागार आजमगढ़	जिला कारागार कासगंज
2	शिवप्रकाश यादव उर्फ प्रकाश पुत्र लालचन्द यादव	जिला कारागार आजमगढ़	केन्द्रीय कारागार आगरा
3	मृत्युंजय उर्फ मयंक उर्फ विक्की सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह	जिला कारागार आजमगढ़	जिला कारागार लखनऊ
4	अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र साहब सिंह	जिला कारागार आजमगढ़	केन्द्रीय कारागार बरेली

2- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-02/2021/60जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़/कासगंज/आगरा/लखनऊ/बरेली।
4- पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़/कासगंज/आगरा/बरेली।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को सम्बन्धित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल होने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
6- अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज/लखनऊ।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा/बरेली।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in